(भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

NVA NIDHI LIMITED

Approved by :-Ministry of corporate affairs Gov. of India
CIN: U65999UP2022PLN162131
Reg. Office : 1, Anand Nagar Katra, Basti (U.P.)
CONTACT NO.: 9450843254

www.nvanidhi.com

उपयुक्त खाने में ✓ का प्रयोग करें

खाता खोलने का आवेदन पत्र

कोड संख्या

सदस्य सेवा केन्द्र का नाम

दैनिक संचय योजना ☐ आवृत्ति संचय योजना ☐ सावधि संचय योजना ☐ बचत खाता योजना ☐

दैनिक संग्रह हेतु दिनों की संख्या ☐☐☐ आवर्ती खाते का मोड ☐☐

आवेदक की सदस्यता संख्या

आवेदक का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

एन वी ए निधि लिमिटेड का/की सदस्य हूँ एवं उपरोक्त चयनित योजना में खोलना चाहता/चाहती हूँ मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे उपरोक्त चयनित योजना में खाते के मूल्यवर्ग तथा अवधि के आधार पर सभी नियम एवं शर्ते मान्य है।

आवेदक सदस्य के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

अवधि (माह) मूल्यवर्ग (अंकों में) मूल्यवर्ग (शब्दों में) (50,000 या उससे अधिक निवेश पर पैन कार्ड अनिवार्य है)

भुगतान प्रकार

☐ नकद ☐ चेक/ड्राफ्ट

चेक/ड्राफ्ट संख्या

अदाकर्ता बैंक का नाम/शाखा

पैन कार्ड संख्या

(पैन कार्ड न होने पर फार्म 60/61 संलग्न करें)

नामित व्यक्ति का विवरण :

क्रम.	नाम	आयु	सम्बन्ध	प्रतिशत	नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर
1.					
2.					

अभिभावक का विवरण (आवेदक के नाबालिग होने पर)

नाम

सदस्य से सम्बन्ध

उम्र

अभिकर्ता सदस्य का विवरण		संग्रहकर्ता सदस्य का विवरण (केवल दैनिक खाते हेतु)	
नाम		नाम	
पद	अभिकर्ता का कोड		संग्रहकर्ता का कोड

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन पत्र संख्या

सभी संलग्न प्रपत्रों का सत्यापन उनकी मूल प्रति से कर लिया गया है, तथा उन्हें संतोषजनक पाया गया है। आवेदनकर्ता को खाता खोलने की संस्तुति प्रदान की जाती है।

खाता खुलने की तिथि

प्रथम रसीद संख्या

जाँचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

आवंटित खाता संख्या

पासबुक/सर्टिफिकेट सं0

नाम ------------------

खाता संख्या

अभिकर्ता का कोड

ई0 कोड ------------------

समस्त योजनाओं के लिये सामान्य नियम एवम् शर्तें

1- <u>निधि का आरम्भ</u>
निधि की अवधि , चयनित योजना एवम् उसकी अवधि के अनुसार होगी। खाते पर ब्याज योजना तालिका के अनुसार दिया जायेगा। योजना अवधि समाप्त होने के पश्चात् सदस्य को निवेश की गई राशि अर्जित लाभ के साथ देय होगी

2- <u>खाते में धन जमा करने की विधि</u>
सदस्य द्वारा कम्पनी में धन नकद अथवा चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है , जिसकी हस्ताक्षरयुक्त रसीद कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा दी जायेगी। उपर्युक्त विधि या माध्यम के अलावा दूसरे किसी माध्यम से जमा की गयी धनराशि के लिये सदस्य स्वयं उत्तरदायी होगा। चैक/ड्राफ्ट का बैंक से समाशोधन होने के पश्चात् ही सदस्य के नाम जमा माना जायेगा। केवल स्थानीय चेक ही स्वीकार्य होंगे।

3- <u>दैनिक एवम् मासिक विधि से अग्रिम किश्तें जमा करने की विधि</u>
सदस्य को दैनिक एवं मासिक योजना में जमा हेतु अग्रिम किश्तें प्रत्येक माह अपने द्वारा चयनित संग्रह हेतु दिनों की संख्या (२५ अथवा ३०) के अनुसार किश्तों का भुगतान नियमित रूप से करना होगा। मासिक योजना में किश्तों का भुगतान नियत तिथि या फिर नियत तिथि से एक सप्ताह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

4- <u>सर्टिफिकेट/पासबुक जारी करने की प्रक्रिया</u>
सभी सदस्य को एकमुश्त अग्रिम जमा योजना के निवेश पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा तथा दैनिक एवम् मासिक जमा योजना के खातों पर पासबुक जारी की जायेगी चयनित योजना की अवधि समाप्त होने पर प्रमाण पत्र/पासबुक कम्पनी को वापस करना होगा। सदस्य द्वारा नियमित समयन्तराल पर जमाराशि की प्रविष्टि पासबुक में करायी जायेगी। पासबुक में की गयी प्रविष्टि अौं कम्पनी की मोहर एवम् अधिकृत केन्द्र के अधिकृत अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से निर्गम रसीद में यदि कोई अंतर या भिन्नता होती है तो रसीद के आधार पर भुगतान होगा।

5- <u>नियमित/अनियमित संचालन</u>
सदस्य द्वारा दैनिक एवम् मासिक योजना में निवश के पश्चात अपने योजना की किश्त नियमित रूप से जमा कराई जायेगी। यदि कोई सदस्य किसी माह खाते की किश्त नहीं जमा करा पाता है तो उसे अगले माह में अवसर प्रदान किया जायेगा कि वह अपने खाते कि पिछले माह की किश्त को भी आपूर्ति कर लें व वर्तमान माह की किश्त का भी १०० प्रतिशत धनजमा करा दें। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका खाता अनियमित माना जायेगा। खाता तब तक अनियमित माना जायेगा जब तक यह पुराने माह और वर्तमान माह की किश्त की आपूर्ति नहीं कर देता। अनियमित माह का ब्याज दर का १/३ होगा। निवेश में होने वाली क्षति व तरलता क्षति के कारण अनियमित खातों पर ब्याज कम दिया जाएगा। सदस्य जिस माह में अपनी बकाया किश्तों की आपूर्ति कर देंगे उसके अगले माह से उनका खाता नियमित मान लिया जायेगा , और उस पर नियमित ब्याज देय होगा। योजना तालिका अभ्यर्पण की ब्याज दर दी गयी है जो कि नियमित खातों कि ब्याज दर से कम हैं , जिसका कारण निवेश के अवसर में क्षति व तरलता क्षति है। मूलधन में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

6- <u>अभ्यर्पण (समय पूर्व निकासी)</u>
किसी भी दैनिक/मासिक योजना के नियमित्/अनियमित खाते में समय पूर्व अग्रिम निवेष की वापसी योजना तालिका में वर्णित ब्याज दर के अनुसार देय होगा। एकमुश्त जमा योजना तथा विशेष योजनाओं में प्री-मैच्योरिटी की ब्याज दर उसकी योजना तालिका में दी गयी है। सदस्य अपनी पासबुक/प्रमाण पत्र संस्था को वापस करेगा तथा योजना तालिका में दिये गये ब्याज दर के अनुसार मैच्योरिटी की भुगतान १५ से ३० दिन के अन्दर देय होगा। यदि सदस्य द्वारा की अवधि पूर्ण होनेसे पहले भुगतान लिया जाता है तो उसे विशेष खातें के अन्य लाभ मिलना बंद हो जायेंगे। प्री-मैच्योरिटी पर ब्याज की गणना जमा धन एवं जमा के प्रकार के अनुसार देय होगी।

7- <u>जमा धन के सापेक्ष ऋण</u>
प्रत्येक सदस्य द्वारा चयनित योजना में अग्रिम निवेश की मूल राशि के सापेक्ष ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकता है। दैनिक एवम् आवर्ती जमा योजना के नियमित संचालन पर योजना की १/२ अवधि पूर्ण होने के पश्चात् जमा मूलधन का ५० प्रतिशत एवम् २/३ अवधि पूर्ण होने के पश्चात् जमा मूलधन की ७५ प्रतिशत धनराशि ऋण की सुविधा के रूप में प्राप्त कर सकते है। ऋण लेने के लिये सदस्य खाताधारी को आवेदन पत्र देना होगा , आवेदन देने के १५ दिनों के अन्दर ऋण का भुगतान कर दिया जाएगा , जिस पर १.५० प्रतिशत प्रतिमाह (मासिक चक्रवृद्धि) ब्याज लिया जायेगा।

8- <u>दो उत्तराधिकारी मनोनयन</u>
सदस्य अपनी इच्छानुसार प्रत्येक उत्तराधिकारी को प्राप्त होने वाली रकम का अनुपात निर्धारित करते हुए दो उत्तराधिकारी नियुक्ति कर सकते है , इसके लिये उसे खाता आरम्भ करते समय इसकी घोषणा करनी होगी।

9- <u>सामान्य नियम</u>
निधि किसी भी आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। निधि किसी भी खाते को अपने अन्य अधिकृत केन्द्र अथवा/सदस्य के अधिकृत केन्द्र के सम्बद्ध/स्थानान्तरण करने का अधिकार रखती है। सरकारी नीतियों में समय समय पर होने वाले परविर्तनों या किसी अन्य कारणों से निधि/सदस्य अभिकर्ता के सूचना बोर्ड के माध्यम से अथवा समाचार पत्रों में प्रकाशित करके संस्था कभी भी इन नियमों में परिवर्तन, रूपान्तर, समापन अथवा संवर्धन कर सकती है। निधि जमाधन कि घोषित परिपक्वता अवधि से पूर्ण की गयी अवधि पर लागू ब्याज दर देते हुए भुगतान करने का अधिकार रखती है। जमा धनराशि इस शर्ता के साथ स्वीकार्य है कि सदस्य समसत हस्ताक्षर एवं उस पर मौजूद सत्यापन की मौलिकता , वैधता एवं शुद्धता तथा उस धनराशि के स्त्रोत की पूर्ण जिम्मेवारी ग्रहण करता है। प्रमाण पत्र की सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व सदस्य का होगा अत : प्रमाण पत्र/दस्तावेज का विवरण लिखकर सुरक्षित स्थान पर रखें। प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में सम्बन्धित शाखा कार्यालय को अविलम्ब सूचित करें। नया प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्राथमिक (एफ0आई0आर) दर्ज कराते हुए शाखा पर लिखित आवेदन देना होगा।

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सारी जानकारी सही है और उपरोक्त खाते के सम्बन्ध में सारी जानकारी मुझे उस भाषा में प्रदान की गयी है जो मैं जानता/जानती हूँ। मैं निधि द्वारा बनाये गये सभी नियमों व शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी तथा उसके विरूद्ध लिखित या मौखिक याचिका दायर नहीं करूँगा/करूँगी , मैं यह भी घोषित करता करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सूचनाएं एवं व्यक्तिगत विवरण सही है।

आवेदक सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मैंने आवेदक सदस्य को उसके द्वारा चयनित योजना के सम्बन्ध में सभी नियमों व शर्तों एवम् सारी जानकारी उसी भाषा में प्रदान की है जो कि वह जानता है और आवेदक सदस्य ने अपनी सहमति प्रकट की है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक सदस्य द्वारा दिये गये तथ्य व जानकारी मेरे संज्ञान में सही है।

परिचयकर्ता के हस्ताक्षर

जाँचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय मोहर

नाम ------------------------

ई0 कोड ___________ पद ___________

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदनकर्ता का नाम

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

पत्राचार हेतु पता :

पिनकोड

मोबाइल

परिचयकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदक का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें

आवेदक सदस्य के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान